UPLK010027962017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
विशेष वाद सं0 82 / 2017

सरकार **बनाम** सुधीर वर्मा उर्फ सुशील कुमार आदि

अ0सं0 587 / 2016
धारा–323,325,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)10 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–इन्दिरानगर, लखनऊ।

29–04–2023

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण सुधीर वर्मा उर्फ सुशील कुमार, श्रीमती नेहा एवं श्रीमती बबली जेरे जमानत न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323, 325, 504, 506 भा0द0सं0 तथा धारा 3(1)10 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 15–06–2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010027962017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

विशेष वाद सं0 82/2017

सरकार **बनाम** सुधीर वर्मा उर्फ सुशील कुमार आदि

अ0सं0 587/2016
धारा–323,325,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)10 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–इन्दिरानगर, लखनऊ।

आरोप

मैं, नरेन्द्र कुमार–III, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण सुधीर वर्मा उर्फ सुशील कुमार, श्रीमती नेहा एवं श्रीमती बबली को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूॅः–

प्रथमः यह कि दिनांक 12–12–2016 को समय 09:30 बजे दिन थाना इन्दिरानगर जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम चांदन पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा कमला देवी रैदास व वादिनी की पुत्री आरती को मारपीट कर उन्हें साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा कमला देवी रैदास व वादिनी की पुत्री आरती को मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। इस प्रकार आप ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा कमला देवी रैदास व वादिनी की पुत्री आरती को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा कमला देवी रैदास व वादिनी की पुत्री आरती को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने अनुसूचित जाति की वादिनी मुकदमा कमला देवी रैदास व वादिनी की पुत्री आरती को जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा–3(1)(X) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(नरेन्द्र कुमार–III)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0–5950

दिनांकः 29–04–2023

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(नरेन्द्र कुमार–III)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0–5950

दिनांकः 29–04–2023

Digitally signed by NARENDRA KUMAR III
Date: 2023.05.01 15:09:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court